No.42/18/95-P&PW(G)-VOL.II

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

(Department of Pension & Pensioners' Welfare)

New Delhi, dated the 6th September, 1996.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : *Grant of Interim Relief to Central Government pensioners/family pensioners.*

The Fifth Central Pay Commission has recommended grant of another instalment of Interim Relief at the rate of 10% of the basic pension/family pension subject to a minimum of Rs.100/- p.m. to the Central Government pensioners/family pensioners w.e.f. 1st April, 1996.

2. The Government have accepted the above recommendations of the Pay Commission. Accordingly, the President is pleased to sanction Interim Relief to all Central Government pensioners/family pensioners at the rate of 10% of the basic pension/family pension subject to a minimum of Rs.100/- p.m. w.e.f. 1st April, 1996.

3. The Relief now sanctioned would be fully adjusted against such final Pensionary benefits as may be recommended by the Fifth Central Pay Commission for the pensioners/family pensioners.

4. These orders also apply to:

(i) The widows and dependent children of the deceased CPF beneficiaries who had retired from service prior to 1.1.1986 or who had died while in service prior to 1.1.1986 and who are in receipt of ex-gratia payment of Rs.150/- p.m. in terms of this Ministry O.M. No.4(1)/87-P&PW(PIC) dated 13.6.1988.

(ii) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of ex-gratia pension of Rs.168/-, Rs.170/-, Rs.186/- and Rs.283/- w.e.f. 1.1.1986 in terms of this Ministry's O.M. No.5(1)/P&PW/88(E) dated 27.9.1988.

(iii) The Armed Forces pensioners, civilian pensioners paid out of the Defence Services Estimates, All India Services pensioners and Railway pensioners; and

(iv) The Burma civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government pensioners from Pakistan who are Indian Nationals but receiving pension on behalf of Government of Pakistan, who are in receipt of ad-hoc ex-gratia allowance of Rs.375/- p.m. in terms of this Department's O.M.No.5/1/85-P&PW dated 17.7.87.

5. If a pensioner/family pensioner is re-employed/employed under the Central or State Government or a Corporation/Company/Body/Bank under them in India or abroad including permanent absorption in such Corporation/Company/Body/Bank, he/she shall not be eligible to draw Interim Relief on pension/family pension during the period of such re-employment/ employment.

6. Interim Relief may be shown as a separate element. No dearness relief on this element will be admissible. Interim Relief involving a fraction of a rupee may be rounded off to the next higher rupee.

7. In case of persons in receipt of more than one pension, the Interim Relief will be calculated on the total of all pensions taken together.

8. Accountants General and authorised Public Sector Banks are requested to arrange payment of Interim Relief to pensioners on the basis of the above instructions without waiting for any further communication from the Comptroller & Auditor General of India or the Reserve Bank of India.

9. Hindi version is enclosed

Sudha P Rao

(SUDHA P. RAO)

Director to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India

Copy, alongwith 400 spare copies, forwarded to the Comptroller & Auditor General of India.

Copy also forwarded to..... as per endorsement enclosed.

सं. 42/18/95-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (जी)-खंड-II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिन 6 6 सितम्बर, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत प्रदान करना।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को 1 अप्रैल, 1996 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 10% की दर से, किन्तु प्रत्येक माह 100/-रु. से कम नहीं, एक और अंतरिम राहत देने की सिफारिश की है।

2 सरकार ने वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें मान ली हैं। तदनुसार राष्ट्रपति, सभी केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को प्रत्येक माह 1 अप्रैल, 1996 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 10%, किन्तु प्रत्येक माह 100/- रुपए से कम नहीं, की मंजूरी प्रदान करते हैं।

3 अब स्वीकृत की गई राहत, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा, पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए अनुशंसित किए जाने वाले पेंशनभोगी प्रसुविधाओं में, समायोजित होगी।

4 ये आदेश निम्नलिखित पर भी लागू होते हैं:-

(i) अंशदायी भविष्य निधि के दिवंगत लाभग्राही, जो 1.1.86 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी 1.1.86 से पहले सेवा के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो इस मंत्रालय के दिनांक 13.6.88 के का.ज्ञा. सं.4/1/87-पी.एंडपी.डब्ल्यू(पी.आई.सी.) द्वारा 150/- रुपए प्रति माह की अनुग्रह राशि प्राप्त कर रहे हैं, उनके विधवाओं और आश्रित बच्चों को।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि के लाभग्राही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जो 18.11.60 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे तथा जिन्हें दिनांक 1.1.86 से इस मंत्रालय के दिनांक 27.9.88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-5(1)/पी.एंडपी.डब्ल्यू-88(ई) द्वारा 168/-, 170/-, 186/- तथा 203/- रुपए की अनुग्रहपूर्वक पेंशन प्राप्त होती है।

(iii) सशस्त्र सेवाओं के पेंशनभोगी, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से पेंशन प्राप्त करने वाले सिविलियन पेंशनभोगी, अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी तथा रेलवे पेंशनभोगी; तथा

(iv) बर्मा के सिविल पेंशनभोगी/कल्याण पेंशनभोगी तथा पाकिस्तान से निस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के परिवारों/पेंशनभोगी, जो भारतीय नागरिक तो हैं, परंतु पाकिस्तान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो इस विभाग के दिनांक 17.7.87 के का.ज्ञा. सं.-5/1/85-पी.एंडपी.डब्ल्यू द्वारा 375/- रुपए प्रतिमास तदर्थ अनुग्रह पूर्वक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

5. यदि पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी, भारत या विदेश में किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक में पुनर्नियोजित/नियोजित है, जिसमें ऐसे निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक में स्थायी आमेलन भी शामिल है, तो वह ऐसे पुनर्नियोजन/नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन/परिवार पेंशन पर अंतरिम राहत लेने का हकदार नहीं होगा।

6. अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाए। इस घटक पर कोई महंगाई राहत अनुमत्य नहीं होगी। अंतरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को रुपए में बदल दिया जाए।

7. एक से अधिक पेंशन ले रहे व्यक्तियों के मामले में, अंतरिम राहत की गणना सभी पेंशनों को जोड़कर की जाएगी।

8. महालेखाकारों तथा सरकारी क्षेत्र के प्राधिकृत बैंकों से अनुरोध है कि वे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी और अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत की भुगतान करने की व्यवस्था करें।

सुधा पी. राव

(सुधा पी. राव)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि 400 अतिरिक्त प्रतियों सहित भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार को प्रेषित

प्रतिलिपि-----को भी संलग्न पृष्ठांकन के अनुसार प्रेषित।